इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 जनवरी 2023—माघ 7, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2023

क्र. 1565-35-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 25 जनवरी 2023 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राघवेन्द्र भारद्वाज, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ६ सन् २०२३

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, २०२२

[दिनांक २५ जनवरी, २०२३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक 27 जनवरी, २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, २०२२ है.

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २३ सन् १९५६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) में, धारा ३५८ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''३५८. **मवेशियों अथवा अन्य पशुओं को सार्वजनिक सड़कों अथवा स्थानों पर खुला छोड़ना अथवा बांधना .—** जो कोई भी जानबूझकर अथवा उपेक्षापूर्वक किसी मवेशी अथवा अन्य पशु को सार्वजनिक सड़क अथवा स्थान पर खुला छोड़ता है अथवा बांधता है, जिसके कारण किसी व्यक्ति को क्षति होती है या संपत्ति को नुकसान होता है या लोक यातायात को बाधा पहुंचती है या संकटापन्न होता है या लोक न्यूसेंस कारित होता है, तो वह, राज्य सरकार द्वारा विहित जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से अधिक का नहीं होगा, दंडनीय होगा.''.

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ३७ सन् १९६१ का संशोधन.

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में, धारा २५४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''२५४. **मवेशियों अथवा अन्य पशुओं को सार्वजनिक सड़कों अथवा स्थानों पर खुला छोड़ना अथवा बांधना .—** जो कोई भी जानबूझकर अथवा उपेक्षापूर्वक किसी मवेशी अथवा अन्य पशु को सार्वजनिक सड़क अथवा स्थान पर खुला छोड़ता है अथवा बांधता है, जिसके कारण किसी व्यक्ति को क्षति होती है या संपत्ति को नुकसान होता है या लोक यातायात को बाधा पहुंचती है या संकटापन्न होता है या लोक न्यूसेंस कारित होता है, तो वह, राज्य सरकार द्वारा विहित ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से अधिक का नहीं होगा, दंडनीय होगा.''.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

४. (१) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, २०२२ (क्रमांक ६ सन् २०२२) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2023

क्र. 1565-35-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 2022 (क्रमांक 6 सन् 2023) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राघवेन्द्र भारद्वाज, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 6 OF 2023

THE MADHYA PRADESH NAGARPALIK VIDHI (CHATURTH SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2022

[Received the assent of the Governor on the 25th January, 2023; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 27th January, 2023.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-third year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh NagarpalikVidhi (Chaturth Sanshodhan) Adhiniyam, 2022. **Short title.**

PART—I

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1956 (NO. 23 OF 1956)

2. In the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), for Section 358, the following Section shall be substituted, namely:— **Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 23 of 1956.**

"358. Letting loose or tethering cattle or other animals at public street or place.— Whosoever wilfully or negligently lets loose or tethers cattle or other animal at any public street or place, so as to cause injury to any person, or damage property, or obstruct or endanger the public traffic, or cause public nuisance, shall be punishable with such fine as may be prescribed by the State Government, not exceeding one thousand rupees.".

PART—II

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1961 (NO. 37 OF 1961)

3. In the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), for Section 254, the following Section shall be substituted, namely:— **Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 37 of 1961.**

"254. Letting loose or tethering cattle or other animals at public street or place.— Whosoever wilfully or negligently lets loose or tethers cattle or other animal at any public street or place, so as to cause injury to any person, or damage property, or obstruct or endanger the public traffic, or cause public nuisance, shall be punishable with such fine as may be prescribed by the State Government, not exceeding one thousand rupees.".

4. (1) The Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Sanshodhan) Adhyadesh, 2022 (No. 6 of 2022) is hereby repealed. **Repeal and saving.**

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.